विनिवेश

विनिवेश की परिभाषा दो रूपों में दी जा सकती है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में किए गए निवेश या कुछ अंशो की बिक्री की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं लेकिन दूसरी ओर सार्वजनिक इकाइयो में किए गए निजी निवेश को विनिवेश कहना अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक इकाइयों में जहाँ मुनाफ़ा अर्जन की प्रवृत्तियों का विकास करना है वहीं निजी क्षेत्र को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाना है।

वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के तहत विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश पर जोर दिया गया था। इस आधार 1993 में रंगराजन समिति गठित की गई थी। यह सिफारिश की गई थी, कि अधिकांश क्षेत्रों में 51% तक विनिवेश किया जा सकता है। इसके उपरान्त 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। इसके सिफारिशों के आधार पर 10 sep 1999 को विनिवेश विभाग स्थापित किया गया जिसे 6 sep 2000 को विनिवेश मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन 27 May 2004 को इसे पुनः विभाग दिया गया जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। विभाग द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।

(i) विनिवेश की सम्भावनाओं की खोज

(2) विनिवेश के लिए प्रस्ताव
(3) विनिवेश से संबंधित नीतियों का क्रियान्वन

दूसरी ओर 31 05 2004 को विनिवेश का विघटन कर दिया गया जिसके दायित्व का निर्वहन वर्तमान में निवेश विभाग द्वारा किया जा रहा है।

विनिवेश नीति 2004

2004 में घोषित राष्ट्रीय विनिवेश नीति मे दो प्रमुख प्रावधान किए गए थे -

(1) लाभ कमाने वाली सार्वजनिक इकाईयों में विनिवेश को तार्किक आधार प्रदान करना।

(2) विनिवेश से प्राप्त राशि का अनुकूलतम प्रबंधन।

नीति में स्पष्ट उल्लेख है, कि लाभ कमाने वाली कंपनियों में विनिवेश अधिकतम 49% तक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकार का समता अंश 51% होगा, ताकि प्रबंधन पर सरकार का प्रभुत्व बना रहे। दूसरी ओर विनिवेश से प्राप्त राशि के संग्रहण के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति। Ap 2005 से कार्य करेगी जो भारत की संचित निधि के दायरे से बाहर होगी। इस निधि की 75% भाग का व्यय सामाजिक अवसंरचना के निर्माण तथा विकास पर, तथा 25% व्यय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो की वित्त संबंधी आवश्यकताओ की पूर्ति पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय निवेश आयोग कार्य करेगा जिसका उद्देश्य भारत में घरेलू तथा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। इसी आधार पर 130cc

2004 रतन टाटा की अध्यक्षता में एक तीन वर्षीय आयोग का गठन किया गया था। इसी प्रकार नई विनिवेश नीति में सार्वजनिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान है जिसे शेयर जारी करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन इसके लिए चुकता पूंजी, तथा रक्षित कोष का योग 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना चाहिए।